बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०:–2/अ0प्र0–4–08/2017 1240 /पटना, दिनांक :– 26.7.22

लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज वाद सं0–01/लोक (ग्रा0का0वि0) 10/2011 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 एवं दिनांक 08.09.2020 द्वारा कार्य प्रमंडल, टिकारी अंतर्गत सियाडीह से एकरिया पथ का निर्माणोपरान्त एकरारनामा में प्रावधानित रख–रखाव (अनुरक्षण) का कार्य नहीं कराने के लिए संबंधित संवेदक एवं अभियंताओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने एवं रू0–9,73,700/–की वसूली करने का निदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, टिकारी में पदस्थापन अवधि में उक्त पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराने एवं संबंधित संवेदक के विरूद्ध इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2722 अनु0 दिनांक 16.09.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

2. मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 3709 अनु0 दिनांक 18.08.2020 द्वारा श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राय के कार्य प्रमंडल, टिकारी का कार्य समाप्ति के लगभग तीन वर्ष बाद दिनांक 29.11.2016 को प्रभार लिये जाने, प्रभार लेने के पश्चात् संवेदक को कार्यालय के पत्रांक 99 दिनांक 08.02.2017 एवं पत्रांक 150 दिनांक 27.02.2017 द्वारा अनुरक्षण कार्य हेतु निदेशित किये जाने तथा पत्रांक 364 दिनांक 15.04.2017 द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा करने एवं पत्रांक 464 दिनांक 04.05.2017 द्वारा कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी से संवेदक के एकरारनामा को विखंडित करने हेतु किये गये अनुरोध के फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 557 दिनांक 01.06.2017 द्वारा संवेदक के एकरारनामा को विखंडित कर दिये जाने के आलोक में आरोप को अप्रमाणित माना है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत पथ का मूल एकरारनामा कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी द्वारा किया गया तथा कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि 04.09.2013 है। बाद में पथ

का हस्तान्तरण कार्य प्रमंडल, टिकारी के अधीन होने के कारण दिनांक 11.07.2014 को कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कार्य प्रमंडल, टिकारी को अभिलेख भेजा गया। चूंकि प्रश्नगत पथ का मूल एकरारनामा कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी द्वारा किया गया था इसलिए संवेदक का एकरारनामा विखंडित किया जाना कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी द्वारा अपेक्षित था। संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने पर कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 557 दिनांक 01.06.2017 द्वारा संवेदक के एकरारनामा को विखंडित कर जमा राशि जब्त की गयी तथा पथ के मरम्मति हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति रू0–9,73,700/–की प्रदान की गयी। अभियंता प्रमुख के सकारण आदेश सं0–12459 दिनांक 14.11.2017 के द्वारा संवेदक को विभागीय काली सूची में अगले दस वर्षो के लिए डाला गया। मामले में एकरारनामा विखंडन के फलस्वरूप संवेदक के विपत्र से रू0–7,14,052/–काटी गयी तथा अनुरक्षण मद की राशि रू0–6,58,102/–जब्त की गयी। इस प्रकार अनुरक्षण नहीं करने के कारण संवेदक को रू0–13,72,154/–का भुगतान नहीं किया गया, जो पथ के मरम्मति हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि से अधिक है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को अप्रमाणित पाये जाने एवं मामले में कोई वित्तीय हानि नहीं होने के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी को प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Sd/- 20/7/2022

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–08/2017 1241 /पटना, दिनांक :– 26.7.22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 20/7/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–08/2017 1241 /पटना, दिनांक :– 26.7.22

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी/त्रिवेणीगंज/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–08/2017 1241 /पटना, दिनांक :– 26.7.22

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को वाद सं0–01/लोक (ग्रा0का0वि0) 10/2011 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/2022

विशेष सचिव